



भारत सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य)
Ministry of Environment, Forest and Climate Change
Regional Office (Central Region)



केन्द्रीय भवन, पंचम तल, सेक्टर-एच, अलीगंज, लखनऊ-226024
Kendriya Bhawan, 5th Floor, Sector-H, Aliganj, Lucknow-226024, Telefax: 2326696, 2324346, 2324047, 2324025
Email: (Env.) m_env@rediffmail.com, (Forest) goimostrolko@gmail.com

पत्र सं० 8बी/06/78/2018/एफओसी०/474

दिनांक : 17.10.2018

सेवा में,
प्रमुख सचिव (वन),
उत्तर प्रदेश शासन, बापू भवन,
लखनऊ।

(ऑनलाईन प्रस्ताव संख्या-FP/UP/Road/25036/2017)

विषय: जनपद बांदा में नरैनी से कालींजर तक सड़क के किमी० 35.00 से 60.825 तक तथा कालींजर बघेलाबारी सड़क के किमी० 0.00 से 1.50 तक फोर लेन निर्माण कार्य हेतु कुल 31.58 हे० संरक्षित वनभूमि के वन वानिकी प्रयोग एवं बाधक 1914 वृक्षों/पौधों के पातन की अनुमति।

सन्दर्भ: विशेष सचिव, उत्तर प्रदेश का पत्रांक-पी-153/14-2-2018-800(149)/2018, लखनऊ, दिनांक-07.10.2018.

महोदय,

उपरोक्त विषय का आशय ग्रहण करने का कष्ट करें। विषयवर्तित प्रकरण में राज्य सरकार द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा (2) के अन्तर्गत भारत सरकार की स्वीकृति मांगी है।

प्रकरण में विचारोपशान्त मुझे आपको यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि राज्य सरकार निम्न बिन्दु पर आवश्यक सूचना प्रस्तुत करें ताकि आगे की कार्यवाही सुनिश्चित की जा सके।

- 1- Undertaking for disposal of Muck has been furnished by the user agency but Muck-disposal scheme has not been submitted.
- 2- Land suitability certificates for CA land is not in Prescribed Format.
- 3- Copy of approval for construction of 'Road over bridge' in Protected Forest between chainage 41.350 to 42 km should be submitted.
- 4- Undertaking of the user agency to bear the cost of affected plantation raised during 2014-15 is not attached.
- 5- The Geo referenced Map of proposed Forest land to be diverted does not provide detailed information of the land, hence needs revision.
- 6- Enumeration list of trees indicates that most of the trees are above 60 cm girth class. A Site Inspection report by Conservator of Forest/Senior Officers may be carried out to suggest ways to minimize felling of trees.
- 7- FRA certificate submitted does not contain the name of the signing officers.

महोदय,

(के० के० तिवारी)
वन संरक्षक (केन्द्रीय)

प्रतिलिपि सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

1. मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, 17 राणा प्रताप मार्ग लखनऊ, उ० प्र०।
2. जिलाधिकारी, बांदा।
3. उप वन संरक्षक, बांदा।
4. अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड-1, लो०नि०वि० बांदा।
5. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ को वेबसाइट पर अपलोडिंग हेतु प्रेषित।
6. आदेश प्रजावली।

(के० के० तिवारी)
वन संरक्षक (केन्द्रीय)

कार्यालय, मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पत्रांक-867/11-सी-FP/UP/Road/25036/2017, लखनऊ, दिनांक: अक्टूबर 24, 2018

प्रतिलिपि- वन संरक्षक, चित्रकूटधाम वृत्त, बांदा को इस आशय से प्रेषित कि भारत सरकार द्वारा वांछित बिन्दुवार सूचना का निराकरण निर्धारित प्रारूप में अभिलेखों सहित इस कार्यालय को तीन प्रतियों में प्रेषित करने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि- प्रभागीय वनाधिकारी, बांदा वन प्रभाग, बांदा को इस आशय से प्रेषित कि भारत सरकार द्वारा वांछित बिन्दुवार सूचना का निराकरण निर्धारित प्रारूप में अभिलेखों सहित इस कार्यालय को वन संरक्षक के माध्यम से तीन प्रतियों में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

प्रतिलिपि- अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड-1, लो०नि०वि०, बांदा को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रमुख वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, लखनऊ

प्रमुख वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, लखनऊ